महिला सशक्ति करण योजना
विभिन्न योजना

उद्‌देश्य :–

म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का उद्‌देश्य जिले के आदिवासियों का –

1. आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास करना है।
2. शेषण समाप्त कर उन्हें विकसित कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है।
3. उपरोक्त उद्‌देश्यों की प्राप्ति हेतु सुविधाजनक ऋण उपलब्ध कराकर उसे ब्याज सहित वसूल करना।

प्रावधान :–

निगम मुख्यालय भोपाल से भौतिक लक्ष्य प्राप्त होने के उपरांत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आदिवासी महिलाओं से आवेदन प्राप्त कर जिला योजना समिति द्वारा लॉटरी पद्धति से किया जाता है। जिसमें महिला आवेदिका जिले का निवासी होना चाहिए, आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम न हो। एवं आवेदिका की या परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 39,500/– तथा शहरी क्षेत्रों में रूपये 54,500 से अधिक नही होनी चाहिए।

कौन लाभ ले सकता है?

जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला आवेदिका शिक्षिक/अशिक्षित लाभ ले सकता है।

योजना का लाभ कैसे ले :– जैसे –

1. किससे संपर्क करें।	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम डिण्डौरी से
2. आवेदन प्रारूप कहां से प्राप्त करें।	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम डिण्डौरी से
3. आवेदन करने का तरीका ।	निर्धारित आवेदन प्रारूप में
4. आवश्यक दस्तावेज।	जाति स्थायी प्रमाण पत्र, आय, मूलनिवासी, राशन कार्ड, अंकसूची रोजगार पंजीयन एवं दो पासपोर्ट फोटो आदि।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास डिण्डौरी
जिला डिण्डौरी